

प्रेस विज्ञप्ति
12.08.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दीमापुर उप आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत पीडब्ल्यूडी, नागालैंड के दोनों ठेकेदारों अविंतुओ सेखोसे और म्हालेली रियो से संबंधित 96 लाख रुपये की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने सीबीआई, एसीबी, इंफाल द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत कोहिमा, नागालैंड में नए उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण के दौरान 3.61 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि के कथित सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। सीबीआई ने आरोपी ठेकेदार अविंतुओ सेखोसे और नागालैंड पीडब्ल्यूडी के आरोपी इंजीनियरों इंजीनियर यापांग जमीर, इंजीनियर एम.आई. टोंगजोक एओ और इंजीनियर के. निकटो असुमी के खिलाफ आईपीसी, 1860 के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया। 80.25 लाख (लगभग)। सीबीआई ने ठेकेदारों थैपफुसातुओ रियो, म्हालेलियो रियो और वाइबेइलीटुओ केट्स के खिलाफ कथित तौर पर आईपीसी, 1860 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए 29.68 लाख रुपये (लगभग) की एक और चार्जशीट दायर की।

ईडी की जाँच से पता चला कि आरोपी ठेकेदार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे, उन्होंने सरकारी खजाने को ऊपर बताई गई सीमा तक गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया और अपराध से आय अर्जित की।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।